

Valid till: (30/05/2027)



জানকি / কলকাতা / ১৯৮০

PATILPUTRA CENTRAL SCHOOL
KRISHNA VIHAR
BEUR, PATNA

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति

06-2022 में किए गए निर्णय के अन्तर्गत में आपके विद्यालय PATLIPUTRA CENTRAL SCHOOL, KRISHNA VIHAR, BEUR, PATNA

800002 का कक्षा १ डी ० तक संभावित अनु सील वर्ष 19/05/2024 - 30/05/2027 अवधि के लिए औपचारिक आवेदन की जाती है।

बहुमूल्य वस्तुविक्रय विनियम सारणी के अनुसूचक के अधीन होगी :

1. बन्धनमुक्ति कि मी मी परिस्थिति में कक्षा 8 तथा की सीमा के बच्चे सम्मिलित नहीं होंगे।
2. शिक्षात्मक बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा शिक्षा राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा विधायक 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. शिक्षात्मक बच्चों की कक्षा 1 में बच्चों के मातापिता की कुल संख्या का 25 प्रतिशत बच्चों का मातापिता अपने बच्चों के कमजोर होने पर अनापत्ता की समुदाय के बच्चों का कक्षा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि शिक्षात्मक में पूर्ण प्राथमिक कक्षाओं का उपलब्ध हो रहा है, तो इस मातापिता का अनुपालन पूर्ण प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कक्षा 3 में उपलब्ध बच्चों के मातापिता में शिक्षात्मक की बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के अंतर्गत में निर्धारित धारों की प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रतिष्ठा की जायेगी धारों की धारों के लिए शिक्षात्मक अलग से एक कक्षा का संचालन करेगा।
5. मातापिता / शिक्षात्मक के द्वारा किसी प्रकार का केन्द्रित धारों की शिक्षात्मक तथा किसी भी बच्चे उसके माता-पिता या शिक्षात्मक का स्वीकृत होना नहीं किया जाएगा।
6. शिक्षात्मक किसी बच्चे के मातापिता से उसके उम्र समान एवं के अनुपलब्धता मातापिता की शिक्षात्मक अधिनियम के बच्चे तथा धारों, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इससे ही किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकते।
7. शिक्षात्मक के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:-

- (i) किसी भी मान्यता प्राप्त बचपन को किसी भी प्रकार से रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी मान्यता प्राप्त बचपन को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्काशित किया जाएगा ।
- (ii) किसी भी बचपन को किसी प्रकार का शारीरिक दुरु नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से दबावित नहीं किया जाएगा ।
- (iii) किसी भी बचपन को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई बहिष्कार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बचपन को नियम 22 के अंतर्गत में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।
- (v) अधिनियम के अनुसूची के अंतर्गत में शिक्षण बचपन का समायोजन किया जाएगा ।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार किया जाएगा
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में सम्बंधित शिक्षकों के दायित्व का निर्धारण करेगी ।
- (viii) शिक्षक किसी प्रकार पर किसी भी प्रकार की शिक्षण विधि में संलग्न नहीं होगी ।

३. विद्युत्वायन कीदृश तापमान प्रभाव तापमान बदलाने द्वारा निम्नलिखित वायुमण्डल एवं वायुमण्डली की अनुसरण करिये ।

७. शिक्षासम्बन्ध प्रविधिबिभाग की भाषा १९ के प्रावधानों के अन्तर्गत ही उपसमन्वय कुटुम्बालों के आन्तरिक रूप से छात्रों का सम्पर्कमान करना ।

१७. विद्युत्वाहक अतिविद्यमान की धारा १० से अधिक लगभगी २५ मागनटों की अवधिपर रहती है। विद्युत्वाहक के अतिरिक्त विद्युत्वाहक के समान उपकरणों में विद्युत्वाहक का विद्युत्वाहक विद्युत्वाहक

(i) विद्यार्थी प्रति व्यक्ति - 250 L.L. लिटर

(ii) कुच विद्यार्थी प्रति - 250 L.L. लिटर

(iii) टीन के रूम के लिए - Building, playstation, playground

(iv) हर कक्षा की कुल बसने - 31

(v) पर्याप्त वायु-शुद्ध कार्बोनिड गैस-मैटर कम - 10

(vi) क्रीडा तथा कार्टिकाजी के लिए अलग-अलग क्रीडाक्षेत्र - Both Indian and Western Boys - 10, Girls 8

(vii) पर्यटन की सुविधा - 20

(viii) लक्ष्यपूर्ण शिक्षण के लिए रॉबोट - 10

(ix) व्यावहारिक प्रयोग - 10

(x) खेल - अतिरिक्त खेलों के लिए उपकरण प्रदाता - ALL, FOOTBALL, BASKETBALL, BADMINTON, CRICKET, HANDBALL, VOLLEYBALL, CHESS, LUDO, CARROM, (Y, 999, NewsPaper Magazine - 15)

11. कोई भी अनुमोदित बसका विद्यालय परिसर से या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय समय अथवा अन्य सरचनाएँ अथवा गैर-शिक्षण का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय बोमईटी इन्डियन ओरियन्टल, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित बोमईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में जानू कायू के 284 स्थित किसी स्थितिक दृष्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी स्थितिक, समूह अथवा स्थितिकों के साथ अथवा किसी अन्य स्थितिकों के नाम के लिए संचालित नहीं होगा।

15. शिक्षा का प्रकाशन एवं उसका प्रकाशिकरण बाह्य प्रकाशक के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग की जांच की जाएगी। प्रत्येक शिक्षा विभाग की एक प्रति स्थितिक शिक्षा विभाग अधीनस्थ की जाती जाएगी।

16. आपके विद्यालय की आवाजें प्रकाशित करने का क्रमांक 230140220656114848 है। इस क्रमांक से किसी प्रकार का प्रकाशन करने से इस क्रमांक को प्रकाशित करने से प्रति रद्द किया जाए।

17. शिक्षक, प्रशिक्षक शिक्षा विभाग शिक्षा प्रदाताओं के द्वारा समस्त-समाज में शिक्षा एवं स्थितिक एवं स्थितिकों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और समस्त सरकार के द्वारा से प्रकाशित की जाती के समस्त एवं से प्राप्त करने की सुविधिता है। अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित स्थितिकों को दूर करने हेतु समस्त-समाज पर शिक्षा प्रदाताओं का अनुमति विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि बोमईटी के निर्माण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुमति के रूप में प्रकाशित

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा पदाधिकारी

(योगेश कुमार)

जिला शिक्षा पर्यवेक्षक, पटना

28/03/2024